रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2003/माघ 8, 1924

No. 86] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2003/MAGHA 8, 1924

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2003

का.आ. 105(अ).—वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के मद (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (ग ग ङ) में यथा परिभाषित ''सहकारी बैंक'' को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के उद्देश्य के लिए ''बैंक'' के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 1/2/2000-बीओ-1]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2003

S.O. 105(E).—In exercise of the powers conferred under item (v) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), the Central Government hereby specifies "Co-operative Bank" as defined in clause (cci) of Section 5 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as 'bank' for the purpose of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002).

[F. No. 1/2/2002-BO-1]

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

260 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.